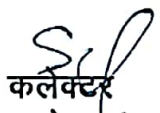


कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला श्योपुर (म.प्र.)
क्रमांक/आ.जा.क./वन/2018/ श्योपुर, दिनांक

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

कार्यापालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 70 दिनांक 15.06.2018 को सवाई माधोपुर-श्योपुर, गोरस राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन मय पेव्ड शोल्डर के कार्य हेतु फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र चाहा है, जिसके क्रम में अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति श्योपुर एवं कराहल से प्रमाणीकरण लिया गया जिसके आधार पर सवाईमाधोपुर-श्योपुर-गोरस राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्य में ग्राम बगवाज कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 203, 146, 119 ग्राम ढेंगदा कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 148 ग्राम हनुमानखेड़ा कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 147, 144, 120, 121 ग्राम ककरधा कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 101, 102 ग्राम कलमी कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 108, 107, 106 में कोई भी अनुसूचित जनजाति का वन अधिकार धारक काबिज न होने से वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया और न ही उक्त भूमि पर किसी भी वन अधिकार धारक से नवीन दावा प्राप्त हुआ है, उक्त स्थल रिक्त होने से किसी का अधिकार नहीं है।

अतः प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बगवाज कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 203, 146, 119 ग्राम ढेंगदा कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 148 ग्राम हनुमानखेड़ा कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 147, 144, 120, 121 ग्राम ककरधा कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 101, 102 ग्राम कलमी कम्पार्टमेन्ट क्रमांक आर.एफ. 108, 107, 106 में सवाईमाधोपुर-श्योपुर-गोरस राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण कार्य हेतु हस्तांतरण के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्वनीकरण की कार्यवाही हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/आ.जा.क./वन/2018/ 1615
प्रतिलिपि :-

श्योपुर, दिनांक 6-8-18

1. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सामान्य/कूनों श्योपुर।
2. कार्यापालन यंत्री लोक निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग श्योपुर/कराहल की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)